



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228724
CG-DL-E-04082021-228724

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2884]
No. 2884]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SRAVANA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2021

का.आ. 3110(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 1942 तारीख 21.05.2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 21.05.2021 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH752-B के कि.मी. 38+700 से 42+050 कि.मी. तक - ब्यावरा से मकसूदनगढ़-रोड (मकसूदनगढ़ बाईपास) संसोधित के लिए भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने / चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "पत्रिका" में गुरुवार 26 जून 2021 और "पीपुल्स समाचार" में गुरुवार 26 जून 2021 में प्रकाशित किया गया था

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है

या

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के गुना जिले में राजमार्ग संख्या NH752-B के कि.मी. 38+700 से 42+050 कि.मी. तक ब्यावरा से मकसूदनगढ़-रोड़ (मकसूदनगढ़-बाईपास) संसोधित के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: गुना		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मकसूदनगढ़				
	गांव का नाम: मकसूदनगढ़				
1	148/3/28	निजी	सिंचित	0.009	उनकर पुत्र खेमा जाती भील पता निवासी मकसूदनगढ़ गुना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१४८/३/२८)
			कुल	0.009	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/01/2017-18/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2021

S.O. 3110(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number **S.O. 1942** dated **21.05.2021** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four -Laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH752-B on the stretch of land from Km. **38+700** to **42+050** K.m. in (**Biaora to Maksudangarh-Road**) (**Maksudangarh-Bypass**) **corrigendum** in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “patrika” 17 June 2021 **Thursday** And “**Peopuls Samachar**” **17 June 2021 Thursday** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

Or

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And wheres, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the compotent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without stracture, falling within the stretch of land from km. **38+700 to 42+050 km. Biaora to Maksudangarh-Road (Maksudangarh-Bypass) Corrigendam** of the National Highway No. **NH-752-B** in the district of **Guna** in the state of **Madhya Pradesh**.

State: MADHYA PRADESH			District: GUNA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Maksudangarh				
	Village: Maksudangarh				
1	148/3/28	Private	Irrigated	0.009	Unkar S/O Khema Jati Bhil pata Niwasi Maksudangarh Guna Madhya Pradesh Bhumi Swami 148/3/28
			TOTAL	0.009	

[F. No. CE-RO BPL/30010/01/2017-18/3D]

RAJESH GUPTA, Director